



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 2965 वर्ष 2026

वाजिज अली एवं एक अन्य आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	सैयद फैज़ हसनैन
प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 80

माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश

- आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री सैयद फैज़ हसनैन के सहयोगी अधिवक्ता श्री सैयद रियाज़ अस्करी, एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत वर्तमान आवेदन, मुरादाबाद के अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 5, के न्यायालय में लंबित आरोप-पत्र संख्या 270/2023 दिनांक 21.11.2023 के साथ-साथ मुकदमा अपराध संख्या 09/2023, अंतर्गत उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 3(1), थाना मूढापांडे, जिला मुरादाबाद से उत्पन्न एस.एस.टी संख्या 434/2024 (राज्य बनाम हाफिज अहमद एवं अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।
- दिनांक 04.02.2026 के पूर्ववर्ती आदेश के अनुपालन में, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को अनुदेश प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया था और उन्होंने अनुदेश प्राप्त कर लिए हैं। अनुदेशों के आधार पर, विद्वान ए.जी.ए. ने कथन किया कि आवेदक को मूल मामले में दोषमुक्त कर दिया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही केवल निम्नलिखित एक मात्र मामले के आधार पर शुरू की गई थी:-



"(i) मुकदमा अपराध संख्या 272 वर्ष 2022, अंतर्गत धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम, थाना मूढ़ापांडे, जिला मुरादाबाद; जिसमें विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 3, मुरादाबाद द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 22.07.2024 के माध्यम से दोषमुक्त कर दिया गया है।"

5. यह आगे तर्क दिया गया है कि आवेदकों को विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 3, मुरादाबाद द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 22.07.2024 के माध्यम से बरी कर दिया गया है, जिसकी प्रति इस आवेदन के अनुलग्नक 3 के रूप में संलग्न की गई है।

6. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि चूंकि आवेदकों को मूल मामले में बरी कर दिया गया है, इसलिए अब अभियोजन के पास उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के तहत कार्यवाही शुरू करने का कोई कारण शेष नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि एक बार जब आवेदकों को मूल मामले में दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो गैंगस्टर एक्ट के तहत वर्तमान कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती।

7. अपने तर्कों के समर्थन में, आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने **फरहाना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [2024 0 आईएनएससी 118]** के मामले में पारित निर्णय पर भरोसा जताया और कहा कि एक बार जब आवेदक को मूल मामलों में बरी कर दिया जाता है या कार्यवाही रद्द कर दी जाती है, तो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए, यह पूरी कार्यवाही पोषणीय नहीं है और इस न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने योग्य है।

8. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदकों द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि मूल मामलों के रद्द होने, बरी होने या खारिज होने के आधार पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता है। गैंगस्टर एक्ट के तहत आक्षेपित आरोप पत्र को निरस्त नहीं किया जा सकता।

9. अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा **पारस चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या 11117 वर्ष 2024, निर्णय दिनांक 03.05.2024]** के मामले में पारित निर्णय पर भरोसा किया।

10. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के बाद, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि आवेदकों के विरुद्ध अब मूल मामलों की कार्यवाही लंबित नहीं है तथा एक बार जब गैंग चार्ट में दर्शाए गए मूल मामलों की कार्यवाही रद्द कर दी जाती है या आवेदकों को बरी कर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिया जाता है, तो उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत कार्यवाही रद्द किए जाने योग्य हो जाती है।

11. **फरहाना (उपरोक्त)** के हालिया निर्णय में, जिसका फैसला **19.02.2024** को हुआ था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही को रद्द कर दिया कि आवेदक के विरुद्ध दिखाए गए मूल मामले उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही रद्द किए जा चुके थे। फरहाना (उपरोक्त) के प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे दिए गए हैं:

"12. गैंगस्टर एक्ट की धारा 2(बी)(i) के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस व्यक्ति पर गिरोह का सदस्य होने का आरोप है, उसे उन असामाजिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाना चाहिए जो भारतीय दंड संहिता के अध्याय XVI, XVII या XXII के तहत दंडनीय अपराधों के अंतर्गत आती हैं। इस बात में कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोजन द्वारा जो मामला बनाया गया है, वह ऊपर उद्धृत धारा 2(बी)(i) तक ही सीमित है और प्रस्तावित अभियोजन के लिए इस प्रावधान के किसी अन्य खंड का उपयोग नहीं किया गया है।

13. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध के लिए आरोप तय करने और उपरोक्त प्रावधानों के तहत आरोपी के अभियोजन को जारी रखने के लिए, अभियोजन को स्पष्ट रूप से यह बताना आवश्यक होगा कि अपीलकर्ताओं पर धारा 2(बी) के तहत परिभाषित असामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत आने वाले किसी एक या अधिक अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है।

14. इस बात में कोई विवाद नहीं है कि भारतीय दंड संहिता के अध्याय XVII के तहत अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एकमात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट (मुकदमा अपराध संख्या 173/2019) की कार्यवाही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आवेदन संख्या 7228/2023 में पारित 3 मार्च, 2023 के आदेश के माध्यम से उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द कर दिया गया है और अपीलकर्ता दोषमुक्त हो चुके हैं।

15. अतः, गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों के तहत अपीलकर्ताओं के अभियोजन को जारी रखने की बुनियाद ही समाप्त हो गई है और इसके परिणामस्वरूप, उक्त अपराध के लिए अपीलकर्ताओं का निरंतर अभियोजन अनुचित है और न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 14 नवंबर, 2022 और 6 दिसंबर, 2022 को रद्द और अपास्त किया जाता है।"

12. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, चूंकि आवेदकों के विरुद्ध अब मूल मामले की कार्यवाही लंबित नहीं है, इसलिए अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 5, मुरादाबाद के न्यायालय में लंबित आरोप-पत्र संख्या 270/2023 दिनांक 21.11.2023 के साथ-साथ मुकदमा अपराध संख्या 09/2023, अंतर्गत उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 3(1), थाना मूढ़ा पांडे, जिला मुरादाबाद से उत्पन्न एस.एस.टी संख्या 434/2024 (राज्य बनाम हाफिज अहमद एवं अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही को एतद्वारा केवल वर्तमान आवेदकों के संबंध में रद्द किया जाता है।

13. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति चवन प्रकाश)

20 मार्च, 2026